15.01.2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 27 के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित।

अतः विप्रार्थी संख्या 1 से 26 के विरूद्व दिनांक 16.12.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत मे विवादित भूमि की नेखमबंदी में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बाण्डासर, पटवार मण्डल– गडरारोड़, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 59 रकबा 8.6441 हैक्टेयर विवा़दित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्य, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुये भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुये नेखमबंदी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ को 500/–रू शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. गडरारोड़ से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ वाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 19:07:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार – ।

राजस्व आवेदन संख्या :– 125/2024

क्रमांक/आवेदन/2025/365 दिनांक– 23/01/2026

प्रार्थी बनाम	विप्रार्थीगण
शेरू पुत्र सुभान, जाति–मुसलमान, नि0 बाण्डासर, तह0 गडरारोड़, जिला बाडमेर	1. अकबर खां पुत्र सिंधल खां, जाति–मुसलमान, नि0 बाण्डासर, तह0 गडरारोड़ वगैरा (27)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ को प्रार्थी की मौजा बाण्डासर, पटवार मण्डल– गडरारोड़ में अवस्थित खातदेारी भूमि खेत खसरा नम्बर 59 रकबा 8.6441 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्य, 1957 के नियम 34 (3) की प्रकिया अपनाते हुये भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस मे भिजवाने हेतु 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू–अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

क्रमांक/आवेदन/2025/366-71 दिनांक– 23/01/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार गडरारोड़ को सूचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी गडरारोड़ को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना गडरारोड़ को पालनार्थ।
5. प्रार्थी शेरू पुत्र सुभान को सूचनार्थ ।
6. विप्रार्थीगण अकबर खां पुत्र सिंधल खां वगैरा (27) को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 19:07:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़